

दिनांक 09.11.2015 को मुख्य कार्मिक अधिकारी-सह-अध्यक्ष, केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि समिति के कक्ष में आयोजित केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि समिति की बैठक का कार्यवृत्त:

उपस्थिति (प्रशासनिक पक्ष)

1. श्री सुशान्त झा, मुकाधि-सह-अध्यक्ष, केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि समिति
2. डा. संजय कुमार, मुचिनि-सह-सदस्य, केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि समिति
3. श्री एस. के. मिश्रा, उप मुकाधि/राज-सह-सचिव, केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि समिति
4. श्री रुपेश चन्द्र, सकाधि/औ.सं. व क.
5. श्री बी. पी. सिंह, मुख्य क.क.नि./एसबीएफ
6. श्री गणेश कु. सहाय, मुख्य कार्याधी/एसबीएफ
7. श्री रोशन अली, कर्मचारी कल्याण निरीक्षक/एसबीएफ

यूनियन/एशो. पक्ष

1. श्री शशिकान्त पाण्डेय, महासचिव/ईसीआरकेयू
2. श्री एस. एन. पी. श्रीवास्तव, अतिरिक्त महासचिव
3. श्री वी. एम. सिंह, सहायक महामंत्री
4. श्री आर. एन. पासवान, जूनियर सचिव, एससीटी

श्री सुशान्त झा, मुकाधि-सह-अध्यक्ष, केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि समिति ने बैठक को संबोधित करते हुए सदस्यों का स्वागत किया एवं तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हुई। मदवार चर्चा उपरान्त निम्न निर्णय लिये गये:-

मद सं. 1. - वर्ष 2015-16 एस.बी.एफ बजट के आवंटन पर निर्णय:-

कार्यवृत्त/निर्णय- केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि समिति द्वारा धनबाद व समस्तीपुर मंडल, पी.डी. मुगलसराय एवं यांत्रिक कारखाना समस्तीपुर (विधिक्षित रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण) को छोड़कर एसबीएफ की राशि रु. 6,92,39,000/- (रुपये छः करोड़ बानवे लाख उनचालीस हजार) का बजट आवंटन वर्ष 2015-16 किया गया (आवंटन संलग्न अनुलग्नक-‘अ’)।
शेष मंडलों/इकाईयों का विधिक्षित रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त एसबीएफ राशि निर्गत किया जायेगा।

मद सं. 2.- वर्ष 2014-15 एस.बी.एफ आवंटन ‘आरक्षित निधि’ में रखे गये रकम के संबंध में निर्णय।

कार्यवृत्त/निर्णय- केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि समिति द्वारा ‘आरक्षित निधि’ में वर्ष 2014-15 में रखे गये/ बचे हुए रकम के संबंध में यह निर्णय लिया जाता है कि शेष राशि को वर्ष 2015-16 के सीएसबीएफ में समाहित किया जात है।

मद सं. 3. सोनपुर एवं दानापुर मंडल द्वारा प्राप्त पत्र सामुदायिक भवन सोनपुर, पटना तथा जे.पी. एन. ट्रेड यूनियन एजुकेशन सेन्टर, पटना को क्रमशः रु. 4 लाख, रु. 5 लाख तथा रु. 2 लाख की राशि ए.सी. व अन्य कार्य हेतु मांग पर विचार। वर्ष 2014-15 सीएसबीएफ मीटिंग में ईसीआरकेयू द्वारा उक्त मुद्दा उठाया गया था, जिस पर मंडलों द्वारा सिफारिश प्राप्त करने पर विचार करने का निर्णय हुआ था।

कार्यवृत्त/निर्णय- समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि सोनपुर एवं दानापुर मंडल के सामुदायिक भवन सोनपुर एवं पटना तथा जे.पी.एन. ट्रेड यूनियन एजुकेशन सेन्टर, पटना, को ए.सी. एवं अन्य कार्य हेतु क्रमशः रु. 4 लाख, रु. 5 लाख एवं 2 लाख की राशि विविध मद से देने पर सहमति दी गयी।

मद सं. 4- आर.बी.ई. सं. 72/15 के अनुसार होमियोपैथिक/आयुर्वेदिक परामर्शदाता की नियुक्ति के संबंध में।

कार्यवृत्त/निर्णय - समिति ने निर्णय लिया कि होमियोपैथिक/आयुर्वेदिक परामर्शदाता के रिक्त पदों पर नियुक्ति की सहमति हुई।

मद सं. 5 - ग्रेड पे रु. 2400/- तक के कर्मचारियों के वार्ड को शिक्षण छात्रवृत्ति वितरण के बाद शेष रकम को ग्रेड पे रु. 2400/- से अधिक के कर्मचारियों के वार्ड के लिए शिक्षण सहायता की राशि में मिलाकर खर्च करने पर निर्णय।

कार्यवृत्त/निर्णय - ग्रेड पे रु. 2400/- तक के कर्मचारियों के वार्ड को रु. 1500/- प्रतिमाह की

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]
2/12

दर से करने के उपरान्त शेष रकम को ग्रेड पे. रु. 2400 /- से अधिक के वार्डों को शिक्षण सहायता राशि में मिल कर उन्हें भी रु. 1500/- प्रतिमाह की दर से शिक्षण छात्रवृत्ति उक्त शीर्ष से वितरित करने पर सहमति।

रु 1500/- प्रतिमाह की दर से वितरित करने में राशि कम पड़ने पर 25 प्रतिशत पुनर्विनियोजन (रिएप्रोप्रिएशन) करने की सहमति एसबीएफ समिति को - शिक्षा, स्काउट, रिलीफ इन डिस्ट्रेस एवं खेलकूद मद को छोड़कर दूसरे शीर्ष से इस शीर्ष में राशि प्राप्त कर आवंटित करने पर सहमति दी गयी।

उपरोक्त दोनों स्थितियों में भी शिक्षण छात्रवृत्ति की राशि पूरा नहीं होने पर समानुपातिक आधार पर वितरण करने की सहमति दी गयी।

मद सं. 6 - 25 % पुनर्विनियोजन (रिएप्रोप्रिएशन) का प्रावधान है कि निधि को एक हेड से दूसरे हेड में स्थानांतरित किया जा सकता है सिर्फ शिक्षा, स्काउट एवं खेल-कूद को छोड़कर। यह अधिकार अध्यक्ष मंडल कर्मचारी कल्याण निधि समिति को देने हेतु विचार ताकि लिखित मदों को छोड़कर अन्य में मंडल समिति को परेशानी न हों ना ही कार्योत्तर अनुमोदन लेना पड़े।

कार्यवृत्त/निर्णय - समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि मंडल/इकाई एसबीएफ समिति द्वारा शिक्षा, स्काउट, रिलीफ इन डिस्ट्रेस एवं खेल-कूद मद को छोड़कर 25 % पुनर्विनियोजन (रिएप्रोप्रिएशन) एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में आवश्यकतानुसार कर सकती है।

मद सं. 7 - 'इण्डिजेनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन' मद में फंड की कमी रहती है। जिसके लिए बोर्ड के निर्देशानुसार चिकित्सा शीर्ष से उस राशि को देने पर विचार।

कार्यवृत्त/निर्णय - मुख्य चिकित्सा निदेशक/हाजीपुर ने 'इण्डिजेनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन' में फंड की कमी की भरपाई संबंधित मंडल चिकित्सा शीर्ष से रेलवे बोर्ड के आरबीई 112/2010 (पत्र सं. ई(डब्ल्यू)2008/डब्ल्यूई-1/10 दिनांक 09.8.2010) के निर्देशानुसार कार्रवाई करने की सहमति दी।

अतः समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि होमियोपैथिक/आयुर्वेदिक परामर्शदाताओं एवं डिस्पेंसर्स के मानदेय का भुगतान संबंधित मंडल के चिकित्सा विभाग द्वारा उनके चिकित्सा शीर्ष से की जायेगी।

संबंधित मंडल एसबीएफ समिति उपरोक्त मद में अपनी आवश्यकतानुसार मंडल चिकित्सा विभाग से प्रत्येक वर्ष माग करेगी ताकि होमियोपैथिक/आयुर्वेदिक परामर्शदाताओं एवं डिस्पेंसर्स के मानदेय का भुगतान प्रत्येक माह नियमित रूप से हो सके।

मद सं. 8 - पॉलिक्लिनिक हाजीपुर स्थित होमियोपैथिक डिस्पेंसरी में आलमीरा, कुर्सी व दवाईयों की व्यवस्था हेतु निधि आवंटन।

कार्यवृत्त/निर्णय - समिति द्वारा यह निर्णय दिया गया कि फर्नीचर हेतु रु. 60,000/- (साठ हजार मात्र) एसबीएफ /मुख्यालय के विविध शीर्ष से तथा दवाईयों हेतु इण्डिजेनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन शीर्ष में आवंटित राशि का उपयोग किया जायेगा।

मद सं. 9 - इण्डिजेनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन मद में आवंटित निधि, परामर्शदाता तथा डिस्पेंसर के मानदेय व औषधि कय की राशि के लिए पर्याप्त नहीं है। अधिक निधि आवंटन एवं दानापुर आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी को दवा हेतु एक लाख अतिरिक्त राशि देने पर निर्णय।

कार्यवृत्त/निर्णय - 'इण्डिजेनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन' मद में आवंटित राशि को आवश्यकतानुसार दवाईयों एवं मानदेय हेतु खर्च करने का एवं शेष मद सं. 7 के अनुसार कार्रवाई करने पर समिति द्वारा सहमति दी गयी।

दानापुर मंडल के आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी में मुख्यालय के कर्मचारी भी उपचार करवाते हैं। अतः अधिक दवाईयों की आवश्यकता होनी है। चर्चा उपरान्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि दानापुर के आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी को दवा कय हेतु अतिरिक्त एक लाख रुपये 'इण्डिजेनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन' मद के मुख्यालय रिजर्व फंड से देने की सहमति दी गयी।

मद सं. 10 - गंभीर बीमारी से ग्रसित कर्मचारियों व उसके आश्रितों के आवेदन पर निर्णय।

कार्यवृत्त/निर्णय - समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि गंभीर बीमारियों से ग्रसित कर्मचारियों जिनके अवकाश खाते में किसी भी प्रकार की छुट्टी शेष नहीं है उसे प्रतिमाह रु. 5,000/- (पाँच हजार) सहायता राशि के रूप में रिलीफ इन डिस्ट्रेस एण्ड सिकनेस मद से संबंधित मंडल/इकाई

[Handwritten signatures and initials]

एसबीएफ समिति द्वारा दिया जायेगा।

सीएसबीएफ समिति से गंभीर बीमारी के लिए सहायता हेतु प्राप्त आवेदनों में से 14 आवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया और संलग्न सूची में दर्शायी गयी राशि के अनुसार वितरण करने पर निर्णय लिया गया।

मद सं. 11 - गंभीर बीमारी के लिए विशेष आर्थिक सहायता हेतु आवेदन जैसे किडनी प्रत्यारोपण, कैंसर, हृदय रोग, लकवा, कार्य के दौरान गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त, ब्रेन हैमरेज/ट्यूमर एवं अन्य मंहगे लाइलाज उपचार से ग्रसित कर्मचारियों व उसके आश्रितों के आवेदन पर विचार।

कार्यवृत्त/निर्णय - समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्राप्त आवेदनों पर विचार/निर्णय प्रत्येक तीन माह में एक बार या आवश्यकतानुसार तीन माह से पूर्व भी मुकाबिले-सह- अध्यक्ष, सीएसबीएफ समिति के समक्ष विशेष सहायता की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। शर्तें निम्न होंगे:-

1. गंभीर बीमारियों जैसे:-किडनी ट्रांसप्लांट, कैंसर, हृदय रोग, लकवा, कार्य के दौरान गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त, ब्रेन हैमरेज/ट्यूमर एवं अन्य मंहगे लाइलाज बीमारी।
2. प्राथमिकता:- स्वयं के लिए प्रथम वरीयता एवं वार्ड/आश्रित के लिए द्वितीय वरीयता होगा
3. आवेदन कैसे करें:-विहित प्रपत्र (प्रारूप संलग्न) में भरकर उचित माध्यम से देना होगा जिससे सम्बद्ध कार्यालय द्वारा सूचीबद्ध कर महाप्रबंधक(का) पूमरे/हाजीपुर कार्यालय में अध्यक्ष सीएसबीएफ समिति/पूमरे के नाम भेजा जायेगा। कर्मचारियों द्वारा सीधे कोई आवेदन नहीं प्राप्त किया जायेगा।
4. यदि कर्मचारी स्वयं या अपने वार्ड के लिए सीएसबीएफ से सहायता हेतु आवेदन करता है तो आवेदन सम्बंधित मंडल/यूनिट के अध्यक्ष, कर्मचारी कल्याण निधि समिति से कार्यालयी रूप में अग्रसारित होना चाहिए।
5. उचित माध्यम द्वारा अग्रसारित आवेदन महाप्रबंधक(कार्मिक) कार्यालय पूमरे / हाजीपुर कार्यालय के पावती अनुभाग में अवश्य प्राप्त करा दिया जाना चाहिए। इस प्रकार के प्राप्त आवेदन पर प्रत्येक तीन माह पर/आवश्यकता के अनुसार अध्यक्ष, सीएसबीएफ समिति के द्वारा विचार किया जायेगा।
6. उपरोक्त प्रोफॉर्म तथा लिए गए निर्णय को सभी मंडलों में 'विस्तृत प्रचार-प्रसार' की जाये तथा पूमरे के वेबसाइट पर डाला जाये।
7. अपूर्ण भरे आवेदन एवं अपूर्ण अभिलेख वाले आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे अथवा उन पर कार्यवाई नहीं होगी।

मद सं. 12 - आर.बी.ई. सं. 54/15 पर चर्चा।

कार्यवृत्त/निर्णय -आर.बी.ई. सं. 54/15 में दिया गया है कि योग्य कर्मचारियों जिनके बच्चे VI स्टैंडर्ड से पोन्ट ग्रेजुएट तक उत्कृष्ट परफॉर्मेंस एवं नं. लाते हैं। उनके बच्चों को नगद पुरस्कार दिया जाये। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के लिए कर्मचारियों के बीच, विस्तृत प्रचार-प्रसार किया जाय।

मद सं. 13 - एक्स्प्रेसर कॉन्सल्टेंट के अवधि विस्तार अगले एक वर्ष करने पर निर्णय।

कार्यवृत्त/निर्णय - सीएसबीएफ समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि एक्स्प्रेसर कॉन्सल्टेंट की अवधि विस्तार 03 माह की जगह अगले एक वर्ष कर दिया गया।

मद सं. 14 - सेन्ट्रल सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, पटना में प्राइवेट तौर पर डायलिसिस टेक्नीशियन के कार्य हेतु एकमुश्त रु. 50,000/- (पचास हजार) मानदेय स्वीकृति हेतु सीएसबीएफ समिति की सहमति पर विचार ताकि मामले में महाप्रबंधक महोदय के पास स्वीकृति हेतु भेजा जा सके।

कार्यवृत्त/निर्णय - समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि सेन्ट्रल सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, पटना को डायलिसिस टेक्नीशियन के कार्य हेतु एक मुश्त रु. 50,000/- (पचास हजार) एसबीएफ के विविध मद से दिया जायेगा।

मद सं. 15 - 01 जून, 2015 से आगे संतुष्टि स्टाफ कैंटीन के संचालन का अवधि विस्तार पर विचार। नये कैंटीन संचालक के चयन हेतु कार्य प्रक्रियाधीन।

कार्यवृत्त/निर्णय – समिति द्वारा संतुष्टि स्टाफ कैटीन का 01 जून, 2015 से 31 दिसंबर, 2015 तक अवधि विस्तार करने पर सहमति बनी।
इसी बीच 31 दिसंबर, 2015 के पूर्व बैठक कर संतुष्टि स्टाफ कैटीन के नये सचालक का चयन कर लिया जाये।

मद सं. 16 – कर्मचारियों के हित में चश्मा के लिए सहायता राशि रु. 750/- से बढ़ाकर रु. 1200/- देने पर विचार।

कार्यवृत्त/निर्णय – समिति द्वारा चश्मा के लिए सहायता राशि रु. 750/- से बढ़ाकर रु. 1,000/- किया गया।

मद सं. 17 – 6 कर्मचारियों को बीमारियों के लिए रु. 2 लाख की सहायता राशि दी गयी जिसपर सीएसबीएफ समिति की कार्योत्तर अनुमोदन वांछित है।

कार्यवृत्त/निर्णय – समिति द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान की गयी।

मद सं. 18 – बैठक खर्च हेतु रु. 2000/- की समिति की सहमति।

कार्यवृत्त/निर्णय – दिनांक 09.11.2015 को आयोजित केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि समिति की बैठक में सम्मिलित रेल पक्ष/यूनियन पक्ष के पदाधिकारियों के स्वागत हेतु रु. 2000/- (दो हजार) की स्वीकृति प्रदान की गई।

मद सं. 19 – स्काउट – गाइड गतिविधियों में नवसृजित राज्य मुख्यालय हेतु अनुदान की आवश्यकता।

कार्यवृत्त/निर्णय – समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि स्काउट – गाइड गतिविधियों में नवसृजित राज्य मुख्यालय हेतु वर्तमान खर्च के लिए रु. 4,00,000/- (चार लाख) की विविध मद से स्वीकृति पर सहमति प्रदान की गयी।

मद सं. 20 – मुख्य चिकित्सा निदेशक द्वारा सेन्ट्रल सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, पटना के लिए कर्मचारियों के हित में एसबीएफ से 7(सात) विभिन्न मशीन खरीदने हेतु अनुरोध।

कार्यवृत्त/निर्णय – सीएसबीएफ समिति द्वारा चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि यह कर्मचारी के कल्याण के लिए है और एसबीएफ में फंड उपलब्ध है। अतः इस मद को महाप्रबंधक महोदय की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाये।

(सुजीत कुमार मिश्रा)

उपमुकाधि/राज.

—सह—

सचिव/केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि समिति
पूरु/हाजीपुर

सं. ईसीआर/एचआरजी/एसबीएफ/मीटिंग
प्रतिलिपि :

दिनांक 02.12.2015

1. मुकाधि के सचिव –मुकाधि-सह- अध्यक्ष, सीएसबीएफ महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. मुचिनि –सह- सदस्य/सीएसबीएफ के सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य इंजी. सह सदस्य/सीएसबीएफ के सादर सूचनार्थ।
4. विसमुलेधी, पूरु, हाजीपुर के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. महासचिव/ईसीआरकेयू/पूरु/हाजीपुर के सूचनार्थ।
6. जोनल सचिव/एससीटी/पूरु/हाजीपुर।
7. मंडल/इकाई, एसबीएफ समिति के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव/केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि समिति

Staff Benefit fund distribution of EC Railway Rs. 69239000/- for the year 2015-16 to the Divisions and Workshops of ECRly.											
SI.No	Head /Activity	I	Allocation	DNR	MGS	SEE	HQ*	HRT	CAO/Con	reserved	total
1	Sanctioned Strength			16443	16950	13467	7420	1067	1899	with HQ	57246
	Education-Scholarship for Higher Technical/ Professional education for wards of staff in G.P.of above Rs 2400/- @Rs. 1500/p.m.	116		1669400	1698360	1367260	753325	108330	192678	4250302	10039655
		U/S			22512				120		
2	Scholarship for Higher Technical /Professional education of Girl children of staff in G.P.upto . Rs.2400/- @ Rs . 1500/- p.m.	110		575560	0	1266015	714360	102725	181554	6680151	9520365
		U/S		1007492	3022148	30522			1272		
3	Scholarship for Higher Technical /Professional education of Male children of staff in G.P.upto Rs.2400/- @ Rs . 1500/- p.m.	100		1153240	1435110	1178670	649420	93390	166205	3978840	8654875
		U/S		285899	48402						
4	Woman empowerment activities including seminar, camps, Trg.Programmes & Gender sensitization camps etc.	28		401230	0	179430	181840	26150	11222	1623498	2423370
		U/S		1728	1876605	150596			35315		
5	Recreation other than sports	32		100000	100000	100000	100000	29885	53185	2286490	2769560

21/2
21/2

Recreational facilities at Institutes 6 & clubs etc.	36	518090	534065	424324	233790	0	0	1405491	3115760
7 Promotion of Cultural Activities	16	50000	50000	50000	25000	10000	10000	1189780	1384780
8 Relief of distress, sickness, etc. for staff in grade pay upto Rs.4600/-.	120 U/S	1381573	621799 802372	1131524	623442	89650	39558 120000	6498294	10385840
9 Sports activities	30	0	0	0	0	0	0	2596460	2596460
10 Scouts & Guides activities	22	0	0	0	0	0	0	1904070	1904070
Indigenous system of medicine 11 including Homeopathy	36 U/S	448824 193048	311124 29870	675449	50000	0	0	1630358	3115755
Immediate relief in times of crisis arising out of floods, famine, land 12 slid, fire or any other calamity.	24	0	0	0	0	0	0	2077170	2077170
13 Developing occupational skills of physically/ mentally challenged railway employees and their wards including purchase of wheel chair other aides, spl. Software etc. & organising workshops, seminars, camps etc.	50 U/S 80 800	120047 79953 200000 8186084	0 1771446 200000 12523813	0 371851 200000 7125641	200000 200000 3731177	46690 50000 556820	46800 36300 50000 944209	3913903 6023900 46058707	4327440 6923900 69239000
14 Miscellaneous Total									

HQ * S/S includes RPF Staff & Accounts Staff of ECR

RPF	4000	2114	Total	HQ *	7420
-----	------	------	-------	------	------

Note :- U/S means Un Spent fund with

[Handwritten signatures and initials]

List of Employees / Wards received assistance from CSBF

Sr.No	Name	Desgi	Working Under	Division/Unit	Disease	Amount
01	Sri J P L Srivastava	MCM	SSE/Signal/Works/MGS	MGS	Cancer Self	Rs 50,000/-
02	Sri Ram Awater Prasad	SSE	AME/C&W/MGS	MGS	Cancer Self	Rs 50,000/-
03	Sri Ramesh Kr Tiwari	SM	Station Manager/MGS	MGS	Cancer Self	Rs 50,000/-
04	Sri Prem Shanker	Tech	AME/C&W/MGS	MGS	Cancer Self	Rs 50,000/-
05	Sri S Sinha	Tech	Sr DME/DSL/MGS	MGS	Cancer Wife	Rs 50,000/-
06	Sri Priya Ranjan Prasad	SWI	Sr DPO /MGS	MGS	Hemorrhage Self	Rs 50,000/-
07	Sri Sanjiv Kumar	JE	Sr DME/C&W/MGS	MGS	Fracture Left leg in road accident	Rs 50,000/-
08	Braj Kishore Choudhary	JE	SSE/C&W/Jhajha	DNR	Kidney Transplant Self	Rs 50,000/-
09	Sri Uday Shanker Pd	Sr ALP/E	Sr DEE/OP/DNR	DNR	Blood Cancer Son	Rs 50,000/-
10	Sri K K Panday	RPF	Sr DSC/DNR	DNR	Hepatitis B self	Rs 50,000/-
11	Sri Krishna Mohari	Peon	Personnel /Hjp	HJP/HQ	Cut of right thumb Self	Rs 50,000/-
13	Sri Pappu Kumar	Kh	C&W/DNR	DNR	Plastic Anaemia	Rs 50,000/-
14	Sri Deepchand Prasad	OS	RRB/Patna	RRB/Patna	Cancer	Rs 50,000/-

RM
3/1/15

Yaj

Bme

2/12

पूर्व मध्य रेल

प्रपत्र का नमूना

नाम

पदनाम:

अधीन कार्यरत:

वेतन

ग्रेड पे

कर्मचारी का बकाया अवकाश—

LAP:..... एवं LHAP:

रोगी का नाम:

रोगी का कर्मचारी के साथ सम्बंध:

निम्नलिखित बिमारियों के कारण से सहायता के लिए सीएसबीएफ के अन्तर्गत आवेदन कर रहा/रही हूँ।(बिमारी का पूर्ण विवरण दिया जाये):-.....

वर्ष 2014-2015 के दौरान एसबीएफ या सीएसबीएफ से प्राप्त राशि का विवरण:-.....

कर्मचारी का बैंक विवरण:- बैंक खाता सं..... बैंक का नाम:-

ब्रान्च का नाम:

IFSC code-----

टिप्पणी: बिमारी के कारण राहत के लिए आवेद के साथ रेलवे मेडिकल प्रमाण-पत्र एवं अन्य भाउचर संलग्न करें। यदि कर्मचारी ने रेलवे के अलावे कहीं और इलाज करवाया हो तो उन कारणों को स्पष्ट करें। जिसके चलते उन्होंने रेलवे की मेडिकल सहायता नहीं ली है।

आवेदक का हस्ताक्षर

अग्रसारित करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर
(मुहर)

रेलवे चिकित्सक द्वारा सत्यापन

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती..... जो श्री/श्रीमती.....
के पुत्र/पुत्री/पत्नी/आश्रित है जो दिनांक..... से (रोग का नाम).....
बिमारी से पीड़ित है।

चिकित्सा अधिकारी का हस्ताक्षर
मुहर

अध्यक्ष, मंडल/यूनिट कर्मचारी कल्याण निधि समिति द्वारा अभियुक्ति के साथ अग्रसारित

हस्ताक्षर (मुहर सहित)

21/2/15

21/2